


145  
24

पजावली पेशा डूर्व वकील प्राथीगण उपस्थित  
विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० ए०  
से प्राप्त हुए जिले शा० प० किये गये। विपक्षीगण से  
कितनी बार कल-कल कर आवाजे दिलायी जाने  
के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके सिकेट एक तरफ  
कार्यवाही किये जाने का अडिच दिया जाता है वकील  
प्राथीगण का प्रा० प० स्वीकार किया जाकर निर्णय  
पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पजावली  
फैसल अगुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 96/24 प्रापत्र

1- मु० परवीन ड।० श्री मोहम्मद हकीम शेख निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (कोरा)

--प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोपाललाल भट्ट ड।० श्री श्यामलाल भट्ट नि० 44 मुस्लीटावर पुर रोड भीलवाडा [कोरा]  
(सिद्धोदित 3-काशकम)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24


::आदेश::


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का चमनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 318, 317 कुल किता 0.2 रकबा 1.4291 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.4.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का चमनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 317, 318 कुल किता 0.2 रकबा 1.4291 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बैरा को 600 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।